न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –61/2016 जिला दौसा

1. रामसिंह, उम्र 15 वर्ष
2. अशोक ,उम्र 16 वर्ष
   पिसरान स्व. लक्ष्मीनारायण नाबालिग बविलायत माता स्वयं श्रीमति मन्नी देवी
3. मन्नी देवी स्त्री स्व. लक्ष्मीनारायण
4. गोपाल पुत्र रणजीता
5. सत्यनारायण पुत्र रणजीता
6. हरिमोहन पुत्र रणजीता
7. लौहडीराम पुत्र रणजीता
8. लाडा देवी पत्नि स्व. रणजीता
9. रामधन पुत्र छोटू
   समस्त जाति मीना, निवासी पुरोहितो का बास, तहसील दौसा, जिला दौसा (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र बिशना , जाति मीना, निवासी पुरोहितों का बास, तहसील दौसा, जिला दौसा ।
2. बैंक ऑफ बडोदा शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक, दौसा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा ।
4. उप तहसीलदार उप तहसील सैथल, तहसील दौसा, जिला दौसा ।
5. उप पंजीयक दौसा, जिला दौसा

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.12.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट्स श्री उमेश गौड
2. रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय

दिनांक – 5.12.2017

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.12.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि दिनांक 6.11.1985 को रणजीता व रामधन पि. छोटू , जति मीणा द्वारा एक प्रार्थना पत्र ए.एस.ओ. दौसा को इन्द्रात दुरूस्ती गत खसरा नम्बर 179/3 रकबा 6 बीघा ग्रम काली पहाडी, तहसील दौसा प्रस्तुत किया जिस पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने आदेश दिनांक 8.7.1986 पारित कर साबिक खसरा नम्बर 179/3 जिसके हाल खसरा नम्बर 605, 606, 607, 608, 609 पर रणजीता, रामधन पि. छोटू मीणा निवासी काली पहाडी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 8.7.86 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट भगवान सहाय पुत्र बिशना मीणा निवासी ग्रम पुरोहितो का बास द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा को प्रस्तुत की गई , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 8.7.86 खारिज किया गया । जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 21.12.2015 के खिलाफ अपीलान्ट रामसिंह वगैहरा द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 21.12.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से बहस के दौरान कोई हाजिर नहीं होने पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम पुरोहितों का बास स्थित आराजी खसरा नम्बर 605 से 609 कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर जिनके साबिक खसरा नम्बर 179/3 रकबा 6 बीघा कब्जे के आधार पर छोटू पुत्र रामबक्श मीना को आवंटित हुई थी । छोटू के स्वर्गवास के बाद उसके पुत्र रणजीता व रामधन का इन्द्राज विरासत के आधार पर किया गया । अपीलान्ट्स रणजीता व रामधन पुत्रान छोटू के वारिसान है, जो छोटू के जीवनकाल से ही भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । विवादित भूमि का छोटू पुत्र रामबक्स पूर्व से खातेदार था तथा भूमि की पास बुक में उसका नाम अंकित था एवं लगान अदा करता आ रहा था व काबिज काश्त था । छोटू का संवत 2023 यानि 50 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा है । भूमि पर अपीलान्ट्स के 5 पुख्ता मकानात व बाडे बने हुये हैं एवं दो पुख्ता कोठी बना रखी है जिन पर विद्युत कनैक्शन ले रखे हैं तथा मय परिवार के रह रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह विचारणीन नहीं था कि भूमि छोटू पुत्र रामबक्स को अलाट शुदा थी या नहीं, नियम 14(4) भू आवंटन का प्रार्थना पत्र भी नहीं था , छोटू की विरासत के नामांतरकरण का कोई विवाद नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबिक खसरा नम्बर 179/3 से मौजूदा खसरा नम्बर 605 से 609 बने या नहीं, रणजीता एवं रामधन उसके पुत्र है या नहीं । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 प्रभावित पक्षकार नहीं था इसलिये उसको अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों से हटकर व मूल बिन्दुओं पर विचार नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटी की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि छोटू पुत्र रामबक्स का नाम खसरा गिरदावरी में 6 बीघा रकबे के लिये अंकित है । खसरा गिरदावरी में अंकन केवल मात्र खातेदार व गैर खातेदार का ही होता है किन्तु इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 31.8.2015 को 29 वर्ष के विलम्ब से पेश की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को तय किये बिना ही गुणावगुण पर अपील का निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट रामसिंह व अशोक नाबालिग थे जिनके कानूनी संरक्षक नियुक्त करने चाहिये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर भी कोई विचार नहीं किया । अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया न ही लिखित बहस प्रस्तुत करने का मौका दिया गया । उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ, विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । रेस्पोंडेन्ट की ओर से बहस के दौरान कोई हाजिर नहीं होने पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट भगवान सहाय ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 8.7.86 के खिलाफ अपील प्रस्तुत की थी जिसमें मुख्य रूप से अंकित किया था कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम कभी भी आवंटित नहीं होने के कारण अपीलान्ट का भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है तथा ना ही भूमि पर उनका कब्जा काश्त है । खसरा नम्बर 605 लगायत 609 की भूमि गैर मुमकीन रास्ते के उपयोग उपभोग में आ रही है तथा उक्त भूमि पर बडोली से महेश्वरा जाने के लिये रोड स्वीकृत होकर डामर रोड बन चुका है । भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं प्रयोजनार्थ की भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है जो रेस्पोंडेन्ट व अन्य लोगों के आने जाने का एक मात्र रास्ता है । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने बिना दस्तावेजों की जॉच किये निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.7.1986 खारिज किया है, कि "जहॉ तक उक्त साबिक खसरा नम्बर 179/3 की भूमि खसरा गिरदावरी में छोटू पुत्र रामबक्श

मीना रकबा 6 बीघा का अंकन है शेष भूमि सिवायचक दर्ज है । उक्त भूमि छोटू के नाम आवंटन का कोई रिकॉर्ड पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में मात्र खसरा गिरदावरी में नाम होने मात्र से ही किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । सैटलमेन्ट विभाग को भूमि की खातेदारी प्रदान करने का कोई अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में सैटलमेंट विभाग द्वारा की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गई है, जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है "।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.12.2015 उचित एवं विधिसम्यक है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता एवं अपील अपीलान्ट मे कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर